कार्यालय प्राचार्य, नवीन शासकीय महाविद्यालय उमरेली,

जिला–कोरबा (छ.ग.)

(अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर छ.ग. से संबंद्ध)

Email id: principalumreli@gmail.com AISHE CODE C – 70551 M. N. 9424142410

क्र. 614 /स्था/अतिथि व्या./2025 उमरेली, दिनांकः 25/09/2025

//अतिथि व्याख्याता एवं अन्य हेतु विस्तृत विज्ञापन//

कार्यालय आयुक्त, उ.शि. संचालनालय रायपुर का पत्र कमांक 289/01/आउशि/राज स्था/2025/नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक – 23/07/2025 एवं छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र कमांक FileNo. **ESTB-1027/1216/2025/38-1** नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक–23/07/25 के अनुसार **नवीन शासकीय महाविद्यालय उमरेली, जिला–कोरबा (छ.ग.)** में अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक अपने समस्त प्रमाण–पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ दिनांक – 03/10/2025 सायं 05:30 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

अतिथि व्याख्याता नीति 2024 का अध्ययन महाविद्यालय के सूचना पटल/वेबसाईट http://gcumreli.in/ से अवलोकन किया जा सकता है।

विषय/पदों का विवरण

क्रमांक	विषय	पद संख्या	रिमार्क
1	**हिन्दी**	**01**	**अतिथि व्याख्याता के मातृत्व अवकाश में जाने के कारण**

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता :–

1. अतिथि व्याख्याता को कार्य करने के लिए **न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों **और अन्य शैक्षिक कर्म**चारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के **रख–रखाव हेतु अन्य उपाय)** संबंधी विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के **अंतर्गत अतिथि शिक्षण सहायक** के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए **परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित** जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर **न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चा**हिए।
2. आयु सीमा अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण **सहायक अधिकतम 65 वर्ष** तक।
3. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता **दी जायेगी।**

<u>टीप :–</u> संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थाप**ना या स्थाना**ंतरण के फलस्वरुप पद भर जाने पर उक्त पद के विरूद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्या**ता एवं** अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।

–: शर्ते :–

01. यह व्यवस्था संबंधित विषय में कार्यरत **अतिथि व्याख्याता के मातृत्व अवका**श में जाने के कारण किया जा रहा है। संबंधित के कार्यभार ग्रह**ण करने पर यह व्यवस्था तत्काल** प्रभाव से निरस्त मानी जावेगी।

02. यह नियक्ति अतिथि व्याख्याता नीति 2024–25 **के नियम 11.4 के अधीन** होगी।

03. आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट / नेट, एम. फिल. / पी-एच.डी. एवं अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।

04. दिनांक 03 / 10 / 2025 तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर, प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुकम सूची में शामिल किया जावेगा। **ई-मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नहीं किया जावेगा।**

05. अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।

06. प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक - 04 / 10 / 2025 को महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाईट **http://gcumreli.in/** पर प्रकाशित किया जावेगा।

07. गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि - 06 / 10 / 2025 तक होगी।

08. अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक - 07 / 10 / 2025 को किया जावेगा जिसका अवलोकन महाविद्यालय की वेबसाईट **http://gcumreli.in/** अथवा सूचना पटल में किया जायेगा।

09. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय **इस आशय का श**पथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरूद्ध पुलिस / न्यायालय में कोई अपराधिक **प्रकरण विचाराधी**न नहीं है (परिशिष्ट-2 के अनुसार)। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकी**य / अर्द्धशासकीय से**वा में नहीं है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में शिकायत / कार्य **संतोषजनक नहीं पाये** जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नहीं की गई है।

10. आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी **यदि समय सीमा** में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दशा में अगले चरणों में **सम्मिलित नहीं किया** जाएगा।

11. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवायें भविष्य में **नियमितीकरण का** आधार नहीं होगा।

12. आवेदक बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार का **पता प्राचार्य, नवीन शासकीय** महाविद्यालय उमरेली, **जिला-कोरबा (छ.ग.) पिन-495671** एवं आवेदित **विषय / पद आवश्यक रुप से** लिखे।

प्राचार्य
नवीन शासकीय महाविद्यालय उमरेली
जिला-कोरबा (छ.ग.)

पृ.क्र. / 615 / अतिथि व्या. / 2025 **उमरेली, दिनांक** 25.09.2025

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर **(छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।**
2. अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय उच्च शिक्षा विभाग **बिलासपुर (छ.ग.) को सू**चनार्थ।
3. प्राचार्य, (अग्रणी) ई. वि. शासकीय स्नातकोत्तर **महाविद्यालय कोरबा (छ.ग.) को** सूचनार्थ।
4. स्थापना / लेखा शाखा उमरेली।
5. प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय...**सूचना पटल मे च**स्पा हेतु।

प्राचार्य
नवीन शासकीय महाविद्यालय उमरेली
जिला-कोरबा (छ.ग.)